राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/25/ 9741 दिनांकः 27/03/2025

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानकों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित ग्राम पंचायत क्षेत्र को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से **चतुर्थ श्रेणी** की नगर पालिका घोषित करती है:-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगर पालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	**डीडवाना-कुचामन**	**खाटू खुर्द**	ग्राम पंचायत खाटूखुर्द का राजस्व ग्राम खाटू खुर्द एवं किशनपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र। (जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या - 11,202)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट घोषणा 2025-26 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खाटू खुर्द, जिला डीडवाना-कुचामन के राजस्व ग्राम खाटू खुर्द एवं किशनपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमांए ही नवगठित **नगर पालिका खाटू खुर्द** की स्थानीय सीमाएं रहेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/25/ 9742-9770 दिनांकः 27/03/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सचिवालय जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग/पंचायत राज0 विभाग जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर/जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन राजस्थान।
05. सचिव,/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
06. निदेशक/अधीक्षक, लेखन एंव मुद्रण सामग्री विभाग, राज0 जयपुर को राज. राजपत्र के भाग 6 (क) के आगामी असाधारण **अंक में प्रकाशनार्थ।**
07. निदेशक जनगणना विभाग, राज0 जयपुर।
08. निदेशक, पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर।
09. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज'. जयपुर ।
10. अतिरिक्त निदेशक/वित्तीय सलाहकार निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर ।
12. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
14. नोडल अधिकारी वेवसाईट निदेशालय को वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. सरपंच/उप सरपंच/सदस्य, ग्राम पंचायत खाटू खुर्द, जिला डीडवाना-कुचामन।
16. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय को लेख है कि प्रकरण में केवियट दायर करें।
17. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Scanned with OKEN Scanner